

[2008] 2 S.C.R. 658

जोईण्ट कमीश्रर, आयकर विभाग, वलसाड, गुजरात

बनाम

मैसर्स युनाईटेड फॉस्फोरस लिमिटेड

(सिविल अपील नंबर 1183/2008)

फरवरी 8, 2008

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-

धारा 36 (1) (iii)- उधार ली गईपूंजी के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष में भुगतान की गईब्याज की राशि को निर्णय: धारा36(1)(iii) के तहत स्वीकार्य कटौती की अनुमति दी जा सकती है।

धारा 34(1) सहपिठत धारा 32(1) का स्पष्टीकरण 5- परिसंपत्तियों के खंड के संबंध में आंशिक मूल्यहास का दावा करने का विकल्प यदि उपलब्ध हो उच्च न्यायालय ने महेंद्र मिल्स के मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कर निर्धारिती के पास मूल्यहास का दावा करने का विकल्प है - निर्णित: महेंद्र मिल्स के मामले में परिसंपत्तियों के ब्लॉक की अवधारणा नहीं थी साथ ही साथ धारा

34(1) को दिनांक 1.4.1988 से लोपित किया जा चुका है- इसलिए, मामले को पुनः विचार के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।

हस्तगत अपील में जिन दो प्रश्नों का विचारण किया जाना है वह इस प्रकार है:

- 1) क्या धारा 36 (1) (iii) आयकर अधिनियम के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष में उधार ली गई लेकिन उपयोग में नहीं ली गई पूंजी के संबंध में भुगतान की गई ब्याज की राशि को स्वीकार्य कटौती होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है एवं
- 2) क्या उत्तरदाता कर-निर्धारिती के पास परिसंपत्तियों के खंड के संबंध में आंशिक मूल्यहास का दावा करने का विकल्प था।

हस्तगत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर पहले सवाल को कर-निर्धारिती के पक्ष में निर्णित कर तथा दूसरे सवाल को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए न्यायालय ने निर्णित किया कि:

निर्णय: 1) उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 के संबंध में इस न्यायालय का कोर हेल्थ केयर लिमिटेड [पैरा 4] [660-डी] के मामले में पारित निर्णय कर निर्धारिती के पक्ष में तथा विभाग के खिलाफ पूर्णतः लागू होता है।

डिप्टी कमीश्नर, आयकर विभाग, अहमदाबाद बनाम मैसर्स कोर हेल्थ केयर लिमिटेड (2008) 2 SCALE 327 – पर भरोसा किया।

2. प्रश्न संख्या 2 के संबंध में, उच्च न्यायालय ने महेन्द्र मिल्स मामले के निर्णय पर भरोसा किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कर निर्धारिती के पास मूल्यहास का दावा करने का विकल्प है। हालांकि धारा 34(1) आयकर अधिनियम, 1961 को दिनांक 1.4.1988 से लोपित कर दिया गया है। इसलिए मामले को उच्च न्यायालय के इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जा रहा है कि वह इस आशय का अभिनिर्धारण करे कि: क्या कर निर्धारिती के पास परिसंपत्तियों के खण्ड के संबंध में कानूनी रूप से मूल्यहास का दावा करने का विकल्प है।

महेन्द्रा मिल्स के मामले में परिसंपत्तियों के खण्ड की अवधारणा मौजूद नहीं थी। इसलिए धारा 260A आयकर अधिनियम 1961 के तहत, खास तौर से तब जब धार 34(1) का आयकर अधिनियम, 1961 को दिनांक 1.4.1988 से लोपित कर दिया जा चुका है, उच्च न्यायालय के समक्ष कानून का सारभूत प्रश्न पैदा होता है। उच्च न्यायालय से इस आशय का अनुरोध किया जाता है कि वह इस बात पर भी विचार करे कि क्या महेन्द्रा मिल्स के मामले का निर्णय विचाराधीन निर्धारण वर्ष पर भी लागू होगा। इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह धारा 32(1) का स्पष्टीकरण 5 जो कि वित्त अधिनियम 2001 से लागू किया गया है, के प्रभाव को दृष्टिगत रखे। [Para 5] [660-E-H,661-A,B]

कमीश्रर, आयकर विभाग बनाम महेन्द्र मिल्स व अन्य (2000) आई.टी.आर. 56 संदर्भित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 1183 of 2008

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद की टेक्स अपील संख्या 2/2002 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 08-01-2022 से।

अपीलार्थी की ओर से पी. विश्वनाथ शेटी, टी. श्रीनिवासा मुर्ति, गौरे अग्रवाल और बी. वी. बालाराम दास - अपीलार्थी के लिए।

पारदीवाला, जय सावला और रीना बग्गा - प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय जे. कपाडिया द्वारा प्रदान किया गया।

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. विभाग द्वारा दायर इस दीवानी अपील में निर्धारण के लिए कानून के दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो निम्नानुसार हैं:

1) क्या धारा 36 (1) (iii) आयकर अधिनियम के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष में उधार ली गईलेकिन उपयोग में नहीं ली गई पूंजी के संबंध में भुगतान की गईब्याज की राशि के स्वीकार्य कटौती होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है?

1) क्या उत्तरदाता कर-निर्धारिती के पास परिसंपत्तियों के खंड के संबंध में आंशिक मूल्यहास का दावा करने का विकल्प था?

4. उपरोक्त प्रश्न संख्या (1) के संबंध में इस न्यायालय का डिप्टी कमिश्नर, आयकर विभाग, अहमदाबाद बनाम मैसर्स कोर हेल्थ केयर लिमिटेड के मामले में पारित निर्णय कर-निर्धारिती के पक्ष में तथा विभाग के खिलाफ पूर्णतः लागू होता है।

5. उपरोक्त उद्धृत प्रश्न संख्या (2) के संबंध में, यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के कमीश्नर, आयकर विभाग बनाम महेन्द्र मिल्स व अन्य (2000) 243 ITR 56 के निर्णय से मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती के पास मूल्यह्रास का दावा करने का विकल्प होता है। हालांकि, धारा 34(1) आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, "1961 का अधिनियम") को दिनांक 01.04.88 से लोपित कर दिया गया है।

इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण उच्च न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस आशय का अभिनिर्धारण करे कि: क्या निर्धारिती के पास संपत्ति के खंड के संबंध में आंशिक मूल्यह्रास का दावा करने के लिए कानूनी रूप से कोई विकल्प है।

महेंद्रा मिल्स(supra) के मामले में परिसंपत्तियों के खंड की अवधारणा मौजूद नहीं थी इसलिए हमारे विचार में धारा 260A आयकर अधिनियम 1961 के तहत, खास तौर से तब जब धारा 34(1) आयकर अधिनियम, 1961 को दिनांक 01.04.88 से लोपित किया जा चुका है, उच्च न्यायालय के समक्ष कानून का सारभूत प्रश्न पैदा होता

है। उच्च न्यायालय से इस आशय का भी अनुरोध किया जाता है कि वह इस बात पर भी विचार करे कि क्या महेंद्रा मिल्स के मामले का निर्णय विचाराधीन निर्धारण वर्ष पर भी लागू होगा। इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह धारा 32(1) का स्पष्टीकरण 5, जो वित्ति अधिनियम 2001 से लागू किया गया है, के प्रभाव को भी दृष्टिगत रखे।

6. तदनुसार प्रश्न संख्या (1) निर्धारिती के पक्ष में तथा विभाग के खिलाफ निर्णित किया जाता है एवं प्रश्न संख्या(2) उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। परिणामस्वरूप विभाग की दीवानी अपील को बिना कोस्ट के आदेश आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

B.B.B.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मदनसिंह चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।